

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-107 के तहत



वाद सं०-एम० 87/2022

कार्तिक प्रमाणिक

बनाम

प्रदीप प्रमाणिक वगैरह

तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
1	2	3
16-07-2022	<p>प्रस्तुत वाद में धारा-107 द० प्र० सं० के थाना प्रभारी बुण्डू के अप्राथमिकी संख्या-41/22 दिनांक-31/05/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-बुण्डू, थाना संख्या-28, खाता-01, प्लॉट नं.-749 रकवा-53 डी. को लेकर विवाद है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द० प्र० सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 50,000/- (पचास हजार) रू० मात्र का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 06-08-2022 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">R 16/08 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p>	

आदेश की संख्या / तिथि Order No./Date	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Magistrate
80-01-2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अधिवक्ता हाजरी। द्वितीय पक्ष क्रम सं० 01, 03, 04 उपस्थित एवं अन्य अधिवक्ता हाजरी। दिनांक 06-02-2023 को रखें।  कार्य सं० 2031 कुर्छ/
06-02-2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अधिवक्ता हाजरी। द्वितीय पक्ष क्रम सं०- 01, 03, 04 उपस्थित एवं अन्य अधिवक्ता हाजरी। द० प्र० सं० की धारा-116(06) के अनुसार धारा-107 की अवधि षष्टः (06) माह की होती है। इस वाद में भी वैधानिक समय सीमा षष्टः (06) माह की अवधि पूर्ण हो चुका है, अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी दोनों पक्षों में शान्ति बने रहने तथा संबंधित थाना द्वारा भी निर्धारित विधि तक में कोई प्रतिकूल टिप्पणी अप्राप्त रहने की दृशा में वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। इस संबंध में संबंधित को भी सूचित करें।  कार्य सं० 2031 कुर्छ/